न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 081 / 2017
रज्जु दिनांकः 29 / 06 / 2017
निर्णय दिनांकः 29 / 06 / 2017

1. रिंकू पुत्री सीताराम, जाति कुम्हार निवासी भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

.......वादीया

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

—प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा व दूरूस्ती इन्द्रांज स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 व 136

उपस्थितः

श्री सुनिल कुमार जोशी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांकः 29 / 06 / 2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद घोषणा व इन्द्रांज दूरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 61 / 2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 106 / 2 रकबा 07 बिस्वा, 107 / 2 रकबा 12 बिस्वा, 595 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 869 / 2 रकबा 15 बिस्वा, 948 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 965 / 6 रकबा 1 बीघा, 965 / 7 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, भूमि वाके ग्राम भोजपुरा, पटवार हल्का भोजपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसमें वादीनी का 1 / 9 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त हिस्सेअनुसार वादीनी खातेदार काश्तकार है एवं उक्त हिस्से अनुसार उक्त चाह का उपयोग—उपभोग करती आ रही है। विवादग्रस्त आराजीयात का वादीनी के पिता स्व0 सीताराम की खातेदारी आराजी है वादीनी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 11.02.2010 को होने से जरिये विरासत के नामान्तकरण संख्या 996 वादीनी को प्राप्त हुई है वरवक्त नामान्तकरण वादीनी नाबालिग थी वादीनी के परिवार के सदस्यो के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार सहवन से वादीनी का नाम रिंकु के स्थान पर टींकु दर्ज कर दिया गया है। विवादग्रस्त आराजी वादीनी की पैतृिक सम्पति है जिस पर वादीनी बालिग होने के साथ अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। वादीनी के समस्त दस्तावेज कक्षा 10 की मार्कशीट, आधारकार्ड में भी वादीनी का नाम रिंकु ही है। उक्त भूमि के जमाबंदी में वादीनी का नाम रिंकु के बजाय नाम टींकु गलत दर्ज हो गया है इसलिये उक्त राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम टिंकु के स्थान पर रिंकु दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादीनी बालिग होने के साथ ही उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाउ बना लिया है। उक्त आराजीयात का वादीनी 1 / 9 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं शांति पूर्वक काबिज काश्त चली आ रही है लेकिन

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

राजकीय कर्मचारियो के सहवन से वरवक्त विरासत के नामान्तकरण में वादीनी का नाम रिंकु की बजाय टिंकु गलत दर्ज हो गया है वादीनी को उक्त गलत दर्ज नाम की जानकारी बालिग होने के बाद राजस्व रिकार्ड की नकले बनवाने पर एवं पटवारी से जांच करवाने पर हुई। उक्त रिकार्ड की नकले निकलवाकर उक्त वाद प्रस्तुत किया है। जिसका राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम रिंकु दर्ज किया जाकर दुरूस्ती इन्द्रांज किया जाना कानूनन आवश्यक है। अभी हाल ही दिनांक 09.06.2017 को वादीनी ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका नाम रिकार्ड में गलत दर्ज है जबकि सही नाम रिंकु है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादीनी द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीनी का वाद कारण दिनांक 09.06.2017 को पटवारी हल्का द्वारा सक्षम न्यायालय में दावा पेश करने व बैंक द्वारा लोन नही देने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वादीनी का वाद अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः वादीनी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस अमर की फरमायी जावें कि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित अनुसार वादीनी सम्पूर्ण आराजी में 1/9 हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है एवं वादीनी का राजस्व रिकार्ड में वादीनी को बालिग घोषित करते हुये टिंकु के स्थान पर सही नाम रिंकु दर्ज राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती की जाकर पालना बाबत तहसीलदार फागी को आदेश फरमाया जावें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया कि वादीनी का नाम वरवक्त विरासत नामान्तकरण शजरा में पटवारी द्वारा टिंकु पढने पर टिंकु दर्ज कर दिया था। जबकि संलग्न शजरा में रिंकु दर्ज होना प्रतित होता है।

वादीया ने साक्ष्य में राहुल पुत्र स्व. सीतराम व रामावतार पुत्र गुल्लाराम जाति कुम्हार निवासी भोजपुरा तहसील फागी के शपथ पत्र पेश किये।

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला-जयपुर

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीनी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत ग्राम पंचायत झाडला का प्रमाण पत्र, अंकतालिका एंव आधार कार्ड इत्यादी दस्तावेज पेश किये है जिनमें वादीनी का नाम रिंकु पुत्री सीताराम अंकित है। वादीनी का नाम विरासत का नामान्तकरण खोलते समय सहवन से रिंकु के स्थान पर टिंकु गलत अंकित हो गया। इसलिये वादीनी का नाम राजस्व रिकार्ड में टिंकु के स्थान पर रिंकु अंकित किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वादीनी का वाद डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 61/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 106/2 रकबा 07 बिस्वा, 107/2 रकबा 12 बिस्वा, 595 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 869/2 रकबा 15 बिस्वा, 948 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 965/6 रकबा 1 बीघा, 965/7 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, भूमि वाके ग्राम भोजपुरा, पटवार हल्का भोजपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजीयात में टिंकु पुत्री सीताराम (नाबालिग) के स्थान पर रिंकु पुत्री सीताराम (बालिग) दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2017 को न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प रेनवाल में मजमेआम सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी, फागी
जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी फागी

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट रेनवाल)

पीठासीन अधिकारी :—सावन कुमार चायल (आर ए एस)

उनवान

रिंकु बनाम तहसीलदार

वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्रांज

मुकदमा नम्बर :— 081/2017

निर्णय

दिनांक :— 29.06.2017

वादीया की ओर से सुनील कुमार जोशी एडवोकेट व प्रतिवादी पेरोकार सरकार उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.06.2017 को श्री सावन कुमार चायत (आर ए एस) पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि—

अतः वादीनी का वाद डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 61/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा, 106/2 रकबा 07 बिस्वा, 107/2 रकबा 12 बिस्वा, 595 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 869/2 रकबा 15 बिस्वा, 948 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 965/6 रकबा 1 बीघा, 965/7 रकबा 6 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, भूमि वाके ग्राम भोजपुरा, पटवार हल्का भोजपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजीयात में टिंकु पुत्री सीताराम (नाबालिग) के स्थान पर रिंकु पुत्री सीताराम (बालिग) दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पालना तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 29.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला जयपुर

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. रूपयेपरप्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय		5. आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी